आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकरी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय अन्तर्गत अनुमण्डल पदाधिकारी,राजमहल।
पी0ए0 वाद सं0– 06/2016–17
आवेदक– राजमुनी बास्की
बनाम
16 आना रैयत
मौजा– झिकटिया
आपत्तिकर्त्ता– लपसा हॉसदा
आदेश

13-7-17

आवेदिका ने आवेदन पत्र दाखिल कर मौजा झिकटिया के रिक्त प्रधान पद पर नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है। दाखिल आवेदन पत्र की जाँच हेतु अंचल अधिकारी, पतना से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं मौजा के 16 आना रैयतों से आपत्ति आमंत्रित हेतु नोटिस निर्गत किया गया। दिनांक 18.03.2017 को लपसा हॉसदा, पे0– स्व0 लखीराम हॉसदा के द्वारा आपत्ति आवेदन पत्र दाखिल किया गया, जिसे पुनः जाँच हेतु अंचल अधिकारी, पतना को भेजा गया।

आवेदिका एवं आपत्तिकर्त्ता द्वारा दाखिल आवेदन पत्र के आलोक में अंचल अधिकारी, पतना से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। तत्पश्चात सुनवाई की अंतिम तिथि निर्धारित कर सुनवाई की गयी। आवेदिका उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा, जबकि आपत्तिकर्त्ता अनुपस्थित रहे। फलस्वरूप एक पक्षीय सुनवाई की गयी। आवेदिका का कहना है कि मेरे पति राजेश टुडू, पिता– स्व0 मतला टुडू विधिवत् बहाल प्रधान थे। जिसकी मृत्यू दिनांक 30.08.2016 को हृदय गति रूकने के कारण से हो गया है तथा उनकी मृत्यू के बाद से ही उक्त मौजा का कार्यवाहक प्रधान के रूप में आवेदिका स्वयं कार्य कर रही है। आवेदका के पुत्र नाबालिग है, इसलिए वह अपने पति की जगह प्रधान पद पर नियुक्त होना चाहती है, जो पढ़ी लिखी शिक्षित महिला है। प्रधानी का पद खानदानी वंशावली के आधार पर चला आ रहा है तथा जिसका दावेदार आवेदिका है। मौजा झिकटिया के प्रधान पद पर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा 06 के तहत नियुक्त करने की प्रार्थना किया गया है।

आपत्तिकर्त्ता ने सुनवाई में भाग नहीं लिया है। दाखिल आपत्ति आवेदन पत्र में कहा गया कि मौजा झिकटिया के बहाल प्रधान आवेदिका का पति राजेश टुडू थे, जिसकी मृत्यू दिनांक 30.08.2016 को शराब पीने से हो गई है तथा राजेश टुडू ने अपने जीवित काल में मौजा झिकटिया के अन्दर सरकारी ,खास जमीन दाग न 0 162, 163 एवं 164 की जमीन बरहरवा प्रखंड वाले के पास बेच दिया है, जिसमें प्रखंड बरहरवा उ0प्रा0वि0 झालदिग्घी, बरहरवा तथा उत्पादन सह बिक्री केन्द्र स्वरोजगार भवन एवं पंचायत साक्षरता समिति झाल दिग्घी बरहरवा आदि बनाया गया है, जो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 का घोर उल्लंघन किया गया है। जिसकी पत्नी राजमुनी बास्की की नियुक्ति ग्राम प्रधान पर नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, चूंकि आवेदिका पढी लिखी महिला नहीं है एवं वह अवैध महुवा का शराब घर पर बना कर बेचती है। ऐसी महिला चरित्रहीन हुआ करती है और ग्राम समाज को बिगाड दिया करते है। अतएव आपत्तिकर्त्ता ने अनुरोध किया है कि सभी तथ्यों की जाँच के उपरांत ही आवेदिका को ग्राम प्रधान पद पर बहाली नियुक्ति करने की प्रार्थना किया गया है।

13/7/17

Scanned with CamScanner

अंचल अधिकारी, पतना ने अपने पत्र सं0 46 / रा0, दिनांक 02.02.2017 एवं 207 / रा0, दिनांक 22.06.2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि मौजा झिकटिया के बहाल प्रधान स्व0 राजेश टुडू थे, जिसकी मृत्यू दिनांक 30.08.2016 को हो गई है। जो कि आवेदिका के पति थे। आवेदिका उक्त मौजा के जमाबंदी नं0 10 के खतियानी रैयत मतला टुडू के पर पौत्र वधु है, जिसकी वंशावली निम्न प्रकार है।

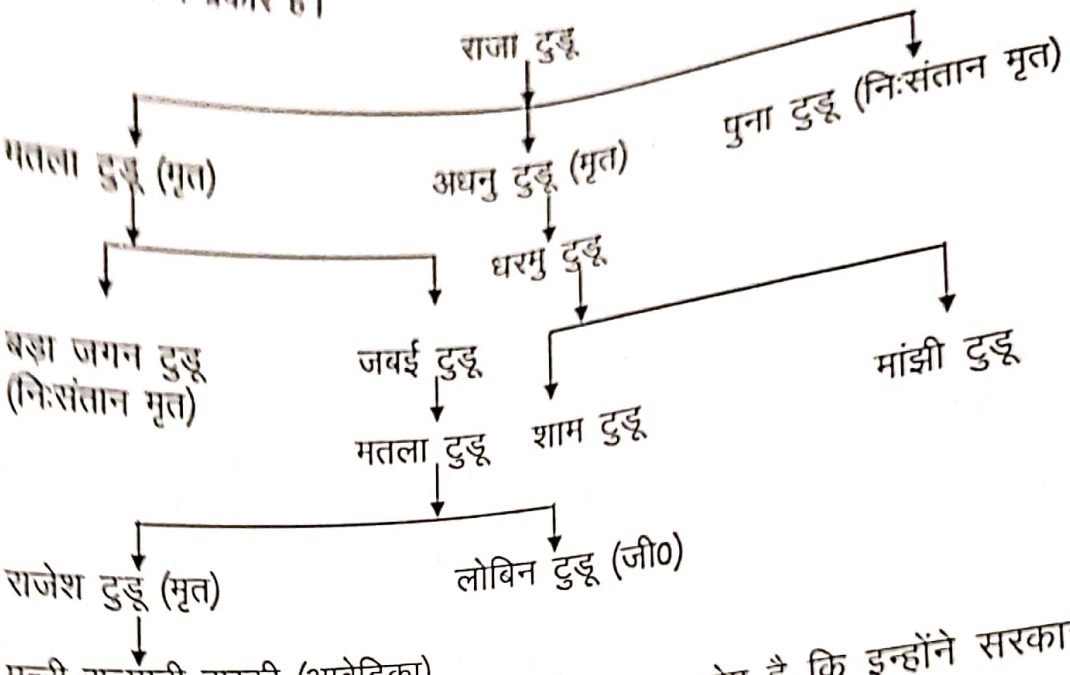

आपत्तिकर्त्ता स्व0 राजेश टुडू के उपर आरोप है कि इन्होंने सरकारी जमीन मौजा झिकटिया दाग नं0 162, 163 एवं 164 पर बरहरवा प्रखंड के उ0प्रा0 विद्यालय तथा उत्पादन सह बिक्री केन्द्र आदि भवन हेतु जमीन बेच दिया है। जाँचोपरांत पता चला कि मौजा झिकटिया के उक्त भूमि गैर मजरूआ खास जमीन है तथा उक्त भूमि पर उ0प्रा0 विद्यालय तथा उत्पादन सह बिक्री केन्द्र आदि भवन का निर्माण हुआ है। इसमें उक्त भूमि बेचने संबंधी कोई बात नहीं है तथा आवेदिका कभी कभार हडिया बनाती है जो कि संथाली रीति रिवाज के अनुसार बनाना आम बात है। आवेदिका राजमुनी बास्की पूर्व बहाल प्रधान की पत्नी है तथा उक्त मौजा के 16 आना रैयतों ने ग्राम सभा कर उक्त मौजा के प्रधान नियुक्त करने का समर्थन किया गया है, से संबंधित ग्राम सभा की प्रति के साथ जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

आवेदिका द्वारा दाखिल आवेदन पत्र, संलग्न कागजातों तथा अंचल अधिकारी, पतना के जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदिका पूर्व प्रधान की पत्नी अर्थात वारिसान के अंतर्गत आते हैं। आपत्तिकर्त्ता ने मौजा झिकटिया, दाग नं0 162, 163 एवं 164 स्थित गैर मजरूआ जमीन को आवेदिका के पति स्व0 राजेश टुडू (पूर्व प्रधान) के द्वारा भूमि बिक्री कर दिये जाने तथा आवेदिका द्वारा हड़िया बनाने का आरोप लगाते हुए आपत्ति दर्ज किया है। जाँचोपरांत पाया गया कि मौजा झिकटिया, दाग नं0 162, 163 एवं 164 स्थित जमीन पर उ0प्रा0 विद्यालय तथा उत्पादन–सह–बिक्री केन्द्र आदि भवन का निर्माण हुआ है। जो आम जनों के सरोकार से संबंधित है तथा भूमि बेचने संबंधी

Scanned with CamScanner

कोई बात नहीं है।

उपर्युक्त तथ्यों पर सम्यक विचारोपरांत यह स्पष्ट है कि आवेदिका पूर्व प्रधान के वारिसान के अंतर्गत आते हैं। जिसकी पुष्टि अंचल अधिकारी, पतना ने अपने जाँच प्रतिवेदन में भी प्रतिवेदित किया है। आपत्तिकर्ता द्वारा लगाये गये आरोप जाँचोपरांत सत्य प्रमाणित नहीं हो सका है। अतएव आपत्ति आवेदन को खारिज किया जाता है तथा संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 08 के अधीन मौजा झिकटिया के प्रधान पद पर नियुक्त किया जाता है। नव नियुक्त प्रधान को आदेश दिया जाता है कि वे कबुलियत दाखिल करें। तत्पश्चात प्रधान पट्टा निर्गत किया जायेगा।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, पतना को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल

अनुमंडल पदाधिकारी,
राजमहल

01/12/18 अभिलेख उपस्थापित। नवनियुक्त प्रधान के कबुलियत दाखिल कर दिया है। कबुलियत के आलोक में प्रधानी पट्टा निर्गत किया जाता है।

अनु० पदा०
राजमहल।

Scanned with CamScanner